ISSN : **2583-3189 (E), 2583-0775 (P)**
Year-02, Volume-02, Issue-02

AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

एक्टोजेनेसिस: पक्ष व विपक्ष

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. सुमित कुमार,
सहायक प्राचार्य,
स्नातकोत्तर दर्शनशास्त्र विभाग,
सुंदरवती महिला महाविद्यालय,
भागलपुर, बिहार, भारत

शोध सार

एक्टोजेनेसिस मनुष्य के प्रजनन करने से संबंधी सिद्धांत है। अभी वर्तमान में मनुष्य तीन तरीके से प्रजनन करता है: प्राकृतिक प्रजजन, इन–विट्रो–फर्टिलाईजेशन व सेरोगैसी। इन तीनों तरीके में एक स्त्री की गर्भ की आवश्यकता होती है। यह ठीक है कि **IVF** एवं सैरोगेसी में 3 से 5 दिन तक भ्रूण का विकास स्त्री के गर्भ के बाहर होता है, लेकिन इसके बाद स्त्री के गर्भ के बिना उसका विकास संभव नहीं है। एक्टोजेनेसिस इस संदर्भ में अनूठा सिद्धांत है कि इसमें मनुष्य को प्रजनन करने के लिए स्त्री के गर्भ की आवश्यकता नहीं है। एक्टोजेनेसिस किसी उपन्यास या सिनेमा की पटकथा का हिस्सा नहीं है बल्कि बायोटेक्नोलॉजी में भेड़ पर इसका सफलता पूर्वक प्रयोग किया जा चुका है। मनुष्य पर इस तरह के प्रयोग के लिए 14 दिन का कानूनी बाधा है और 14 दिन तक मनुष्य के भ्रूण का विकास स्त्री के गर्भ के बाहर किया जा चुका है। स्पष्ट है कि एक्टोजेनेसिस के विकास में तकनीक बाधा नहीं है बल्कि हमारी नैतिकता या कानूनी बाधा है। नीतिशास्त्र में स्त्रीवाद के समर्थक, समलैंगिग अधिकार, प्रिमैच्योर शिशु आदि के आधार पर एक्टोजेनेसिस का समर्थन किया जाता है, लेकिन कुछ नैतिक दार्शनिक चाहते है कि इसको कानूनी मान्यता न मिले क्योंकि उनकी मान्यता है यह प्राकृतिक के अधिकार क्षेत्र में हमारा हस्तक्षेप होगा। फिर अगर इस हस्तक्षेप की मान्यता दे भी जाए तो इससे असमानता भी बढ़ेगी और शिशु पर दीर्घकालिक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका कोई सटीक अनुमान हमारे पास नहीं है। इन्हीं नैतिक तर्कों का विश्लेषण मैं अपने शोध–पत्र मे करूँगा। मेरी अपनी आत्मनिष्ठ मान्यता है कि सीमित तौर पर इसे कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए।

मुख्य शब्द

एक्टोजेनेसिस, बायोबैग, कृत्रिम गर्भ.

भूमिका

एक्टोजेनेसिस (Ectogenesis) ग्रीक शब्द “ECTO” से बना है जिसका अर्थ होता है बारह। एक्टोजेनेसिस का तात्पर्य है किसी जीव का विकास पूर्णतया उस शरीर से बाहर होना सामान्यता: वह जहाँ होता है। उदाहरणार्थ, मनुष्य के संदर्भ में स्त्री के गर्भ के बाहर भ्रूण से शिशु का पूर्ण विकास करना। आम आदमी को यह असंभव प्रतीत हो सकता है परन्तु बायोटेक्नोलॉजी ने इसे संभव बना दिया है। स्त्री के गर्भ जैसा पर्यावरण एक बायोबैग बना दिया जाता है और फिर वहां पर भ्रूण से शिशु तक अपनी नौ महीने की गर्भाअवधि की यात्रा पूरा करेगा जैसा स्त्री के गर्भ में करता है। विश्व का पहला बायोबैग नीदरलैंड ने बना लिया है।[1] वैज्ञानिक ने भेड़ के बच्चे का भ्रूण से भेड़ में पूर्णतया विकास कृत्रिम गर्भ में लिया गया है।[2] मनुष्य के संदर्भ कानूनी बाध्यता है कि 14 दिन से अधिक तक भ्रूण

का विकास स्त्री के गर्भ से बाहर नहीं कर सकता है। कैंब्रिज विश्वविद्यालय में शोध करने वाले वैज्ञानिक ने 13 दिन तक भ्रूण का विकास कृत्रिम गर्भ या बायोबैग में कर लिया है क्योंकि इससे आगे विकास करना कानूनी दृष्टिकोण से संभव नहीं था। इसका अर्थ है हमारा कानून व नैतिकता इसके लिए बाधक है न कि तकनीक एक्टोजेनेसिस के संदर्भ में बहुत सारे नैतिक मुद्दे है। कुछ नैतिक दार्शनिक इसे वरदान मानते हैं, तो कुछ इसे अभिशाप मानते है तथा इसे कानूनी रूप से मान्यता देने का विरोध करते हैं। इनका कहना है भविष्य में नवजात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसे छोड़ भी दिया जाए तो शिशु के भावनात्मक स्वास्थ्य पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।[3] कुछ नैतिक दार्शनिकों का कहना है कि भारत जैसे परम्परागत नैतिक सोच वाले देश में क्या इससे संबंधित प्रश्नों को स्वीकार्य किया जा सकता है। इन प्रश्नों की सूची निम्न हो सकती हैः क्या एक्टोजेनेसिस नैतिक रूप से उचित कहा जा सकता है और इसे स्वीकार्य किया जा सकता है। नैतिक रूप से स्त्री, पुरूष व बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सामान्य रूप से समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज के मूल्यतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

एक्टोजेनिसिस के पक्ष में तर्क

1. **एक्टोजेनेसिस और स्त्रीः** एक्टोजेनेसिस सबसे ज्यादा संबंधित पक्ष स्त्री है क्योंकि उसी के गर्भ के स्थान संबंधित पक्ष स्त्री है क्योंकि उसी के गर्भ के स्थान पर कृत्रिम गर्भ का निर्माण होता है। स्त्रीवाद के समर्थक नैतिक दार्शनिक लैगिंग समानता के लिए एक्टोजेनिसिस का समर्थन करते है। उनका कहना है कि स्त्री को 9 महीने व विशेष तौर पर बच्चे को जन्म देने के समय होने वाले कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। भारत जैसे समाज में स्त्री को बाँझपन के कारण बहुत प्रताड़ित किया जाता है उससे भी उन्हें मुक्ति मिल जाएगी।
2. **स्त्री अधिकार व भ्रूण अधिकार में सामंजस्यः** एक्टोजेनेसिस के द्वारा स्त्री अधिकार व भ्रूण के जीवन के अधिकार में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। गर्भपात का विरोध इस आधार पर किया जाता है कि क्योंकि यह भ्रूण के जीवन के अधिकार पर अतिक्रमण है।[4] भ्रूण के जीवन का भी उतना ही महत्व है जितना शिशु का क्योंकि भ्रूण में संचित उर्जा होती है शिशु बनने की। एक्टोजेनिसिस को अगर पूरी तरह से कानूनी मान्यता नहीं भी मिल पाती है तो आंशिक एक्टोजेनिसिस के द्वारा इन दोनों के अधिकार में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। आंशिक एक्टोजेनिसिस का तात्पर्य है कि बच्चे का पूर्ण विकास कृत्रिम गर्भ में न करके स्त्री के गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण को स्त्री के गर्भ से निकाल कर कृत्रिम गर्भ या बायोबैग में गर्भावधि के शेष अवधि के लिए रखना। इससे स्त्री का उसके शरीर पर अधिकार कि वह अपने शरीर में भ्रूण को रखना चाहती है कि नहीं और जिस भ्रूण के जीवन के अधिकार तर्क के आधार पर गर्भपात का विरोध किया जाता है, दोनो में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। कुछ नैतिक दार्शनिक इस बात से असहमत है कि गर्भपात का समाधान एक्टाजेनेसिस है।[6] उनका तर्क है कि एक्टोजेनेसिस से जो खतरा पैदा होगा वह भ्रूण के जीवन या स्त्री के जीवन के अधिकारों से मिलने वाले लाभ तुलना से ज्यादा खतरानाक है। अतः एक्टोजेनेसिस को कानूनी मान्यता मनुष्य के संदर्भ में नहीं दी जानी चाहिए। कुछ नैतिक दार्शनिक जीवनपूर्व (भ्रूण) के जीवन के अधिकारों के लिए एक्टोजेनेसिस का समर्थन करते है।[7] इसी तर्क के आधार पर वे 14 दिन से ज्यादा तक या फिर पूरे तरीके गर्भावधि के लिए बायोबैग या कृत्रिम गर्भ के अधिकार को कानूनी मान्यता का समर्थन करते है।[8]
3. **प्रिमच्योर शिशु व एक्टोजेनेसिसः** विश्व में प्रिमच्योर रूप से जन्म लेना नवजात शिशु के मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। एक्टोजेनेसिस द्वारा प्रिमच्योर शिशु के मृत्यु दर में कमी लायी जा सकती है। इस आधार पर बहुत से नैतिक दार्शनिक इसके पक्ष में तर्क देते है। अगर किसी शिशु का जन्म 37 सप्ताह से पहले होता है तो उसे प्रिमच्योर कहा जाता है। अगर इंग्लैंड के गैर सरकारी संगठन द्वारा इकट्ठे किये गए तथ्य के अनुसार 22 सप्ताह में बच्चें का जन्म होता हे तो उसके बचने की संभावना केवल 10 प्रतिशत है। अगर एक्टोजेनेसिस की कानूनी मान्यता मिलती है तो प्रिमच्योर शिशु की जीने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि जन्म के बाद उसे कृत्रिम गर्भ यानि बायोबैग में रख दिया जाएगा जिसमें माँ के गर्भ जैसा ही पर्यावरण रहेगा और गर्भावधि पूरा होने के बाद उसे बायोबैग से निकाल लिया जाएगा।

4. **एक्टोजेनेसिस और विवाहः** विवाह के कारण समाज में असमानता आती है और यह वैयक्तिगत सम्पति का मूल है। इस आधार पर विवाह की आलोचना की जाती है। परन्तु विवाह संस्था को समाप्त करने की बात कोई नहीं करता क्योंकि यह मनुष्य के प्रजनन के लिए आवश्यक है और बिना प्रजनन के हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। परन्तु एक्टोजेनेसिस को अगर कानूनी मान्यता मिल जाती है तो विवाह संस्था को भी समाप्त किया जा सकेगा और मनुष्य का अस्तित्व भी बना रहेगा। वास्तव में विवाह संस्था अस्तित्व में इसलिए आया था क्योंकि बच्चा स्त्री के गर्भ में रहता था और उसके जन्म के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी स्त्री पर आ जाती थी और पुरूष उससे पूर्णतया स्वतंत्र रहता था। अतः पुरूष को भी जिम्मेदारी में हिस्सेदार बनाया जा सके इसलिए विवाह संस्था की शुरूआत हुई होगी, परन्तु एक्टोजेनेसिस आने के बाद बच्चो के जन्म के लिए स्त्री के गर्भ की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके गर्भ से बाहर कृत्रिम गर्भ में भ्रूण से शिशु का विकास हो सकेगा। अतः विवाह संस्था को समाप्त किया सकता है।
5. **समलैंगिगता व एक्टोजेनेसिसः** समलैंगिगता का तात्पर्य है कि दो पुरूषों या दो स्त्रियों का एक साथ जीवन–यापन की प्राकृतिक चाहत। पर उनके अधिकारों का विरोध करने वाले इस तर्क के आधार पर उनके अधिकारों का विरोध करते है कि इससे प्रजनन संभवन नहीं है और यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकता है। परन्तु एक्टोजेनेसिस को अगर कानूनी मान्यता मनुष्य के संदर्भ में मिल जाती है तो दो समलैंगिग लोग भी अपना बच्चा एक्टोजेनेसिस के तकनीक से पैदा कर सकते है। स्पष्ट है कि इस तकनीक को कानूनी मान्यता देकर समलैगिगों के अधिकार को भी सुरक्षा की जा सकती है।

एक्टोजेनिसिस के विपक्ष में तर्क

1. **भावनात्मक तर्कः** एक्टोजेनेसिस आने के बाद परिवार का अस्तित्व समाप्त होने का खतरा हो सकता है क्योंकि स्त्री व पुरूष स्वतंत्र रूप से शिशु को कृत्रिम गर्भ से विकसित कर सकते है। इससे परिवार में शिशु को जो भावनात्मक स्नेह मिलता है, वह न मिल पाने का खतरा रहेगा। मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भावनात्मक स्नेह अनिवार्य है। साथ ही माँ के द्वारा 9 महीने बच्चे को अपने गर्भ में रखने के कारण जो रिश्ता माँ व नवजात शिशु के बीच बनता है वह रिश्ता शायद कृत्रिम गर्भ से उत्पन्न बच्चे से माँ का न बने और इससे बच्चे के मानसिक स्वस्थ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब चूँकि परिवार के अस्तित्व पर ही एक्टोजेनेसिस ने प्रश्नचिह्न लगा दिया हैं। अतः पारिवारिक मूल्य भी बच्चों को न मिलें। इन तर्कों के आधार पर कुछ नैतिक दार्शनिक एक्टोजेनेसिस के कानूनी मान्यता मिलने का विरोध करते है।
2. **एक्टोजेनेसिस बच्चों का वस्तुकरणः** एक्टोजेनेसिस को अगर कानूनी मान्यता मिल जाती है तो एक संभावना यह भी है कि हम वस्तु व शिशु के बीच विभेद करना भूल जाऐं। मान लीजिए तर्क के लिए मान लेते हैं कि एक्टोजेनेसिस को कानूनी मान्यता मिल जाए तो फिर हो सकता है जैसे फैक्ट्री में वस्तुओं को उत्पादन होता है वैसे ही बायोटेक्नालॉजी के प्रयोगशाला में बच्चों का उत्पादन होने लगे और हमारा लगाव भी बच्चों से वैसे ही होने लगे जैसे वस्तुओं से होता है। एक समय बाद जैसे वस्तु से हमारा लगाव खत्म हो जाता है, हो सकता है फिर बच्चों से भी हमारा लगाव खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बच्चों का लालन–पालन कौन करेगा। इस तर्क के आधार पर इसको कानूनी मान्यता न मिलने का समर्थन कुछ नैतिक दार्शनिक करते है।
3. **डिजाइनर बेबीः** डिजाइनर बेबी का तात्पर्य है कि भ्रूण के जिन में परिवर्तन कर मनोवांछित गुण व लिंग प्राप्त करना। अगर एक्टोजेनिसिस को कानूनी मान्यता मिलती है तो स्पष्ट है कि भ्रूण के जीन में परिवर्तन कर लोग मनोवांछित गुण प्राप्त करने का प्रयास अपने बच्चों में करेंगे। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि मनुष्य की विविधता खतरे में पड़ जाएगी। उदाहरणार्थ, भारत जैसे देश में जहाँ पुरूष संतान को लेकर तथाकथित यह मान्यता हो कि उसी के द्वारा अग्नि देने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो वहाँ स्त्री के अस्तित्व को ही खतरा हो सकता है। फिर इसी तरह रंग को लेकर भारत सहित विश्व के अनेके देशों में एक खास रंग को लेकर विशेष लगाव है। तो लोग चाहेंगे कि जिन में परिवर्तन कर उस विशेष यानि गौर रंग का बच्चे ही पैदा हो। इससे मनुष्य में जो रंग को लेकर विविधता है, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस तरह लोग बच्चों

में अनेक तरह का मनोवांछित गुण चाहेंगे। पर यह टेक्नोलॉजी शुरूआती दिनों में महंगी होगी तो इसका उपयोग केवल अमीर लोग ही कर पाऐगें। इसमें अमीर व गरीब के बच्चों में अंतर जो पहले से ही उनके विकसित होने की दशा को लेकर रहता है और बढ़ेगा। इन तर्कों के आधार पर भी एक्टोजेनिसिस को कानूनी मान्यता देने विरोध किया जाता है।

4. **एक्टोजेनिसिस व मानव प्रजाति पर दीर्घकालिक प्रभावः** मनुष्य जब कोई भी दवाई या टीका बनता है तो उस पर काफी शोध होता है, काफी प्रयोग कुछ चुने हुए लोगों पर किया जाता है और सब कुछ ठीक रहने के बावजूद मानव पर सामान्य रूप से प्रयोग की अनुमति दी जाती है। एक्टोजेनिसिस के संदर्भ में इस प्रक्रिया से गुजरना काफी कठिन है क्योंकि इसका दीर्घकालिक प्रभाव मनुष्य पर क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। दीर्घकालिक प्रभाव का तात्पर्य है कि एक्टोजेनिसिस से उत्पन्न मनुष्य का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या उसके उम्र पर 20–25 या 50 साल के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अनुमान लगाना कठिन है। मान लीजिए 2–4 साल के अनुभव के आधार पर अगर इसको कानूनी मान्यता दे दी जाती है। लेकिन 25–30 साल बाद उम्र के संदर्भ में नकारात्मक प्रभाव दिखने लगे तो मानव अस्तित्व पर ही इससे खतरा हो सकता है। इन कारणों से भी कुछ समीक्षक इसके कानूनी मान्यता देने का विरोध करते है।

5. **प्राकृतिक धार्मिक कारण व एक्टोजेनिसिसः** कुछ नैतिक दार्शनिक प्राकृतिक व धार्मिक कारण के आधार पर भी एक्टोजेनिसिस का विरोध करते है। उनकी मान्यता है कि यह ईश्वर या प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप है और इस आधार पर वे एक्टोजेनिसिस का विरोध करते है।

6. **आर्थिक कारण व एक्टोजेनिसिसः** मान लीजिए एक्टोजेनिसिस को कानून मान्यता मिल भी जाती है तो फिर प्रश्न उठेगा कि इस शोध के लिए पैसा कौन देगा? या तो सरकार या फिर प्राइवेट कम्पनी इस में पैसा लगाऐंगे। प्राइवेट कम्पनी अगर लगाएगा तो फिर यह टेक्नोलॉजी आने पर बहुत महँगा होगा और जनसामान्य इसका उपयोग आर्थिक कारणों से नहीं कर पाऐंगे। इससे अमीर व गरीब के बीच असमानता और बढ़ेगी। अगर सरकार पैसा लगाएगी तो विकासशील देशों के सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि इस पर पैसा लगा सकें। यह विकसित देशों के सरकार के लिए ही संभव है। इससे भी विकसित व विकासशील देशों के मानव संसाधन में अंतर बढ़ेगा। इस तर्कों के आधार पर भी इसका विरोध किया जाता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में इतना ही कहा जा सकता है दुनिया में कोई चीज सौ फीसदी अच्छी या बुरी नहीं होती। यदि ऐसा होता तो उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय आसान हो जाता, परन्तु अनुभविक जगत में ऐसा होता नहीं है। एक्टोजेनिसिस भी इसका अपवाद नहीं है। उपरोक्त तर्कों से स्पष्ट है एक्टोजेनिसिस में कुछ सकारात्मक गुण है और कुछ नकारात्मक गुण है। तो क्या इन नकारात्मक गुण के कारण इसे कानूनी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। मेरे विचार से इसे सीमित तौर पर कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए क्योंकि जब परमाणु बम, बंदूक आदि चीजों को कानूनी मान्यता मिल सकती है जो केवल मानव जाति का विनाश कर सकती है तो एक्टोजेनिसिस को क्यों नहीं। सीमित तौर पर इसे कानूनी मान्यता देखकर 10–20 साल शोध करना चाहिए और अगर प्रयोग के स्तर पर नकारात्मक लक्षण दिखे तो कानूनी मान्यता को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि कानून कोई नित्य चीज तो है नहीं कि अगर एक बार मान्यता दे दिया तो उसे वापस नहीं कर सकते।

संदर्भ सूची

1. BBC News, (Website, 15 Oct-2019)
2. The Guardian News Paper, 27 June 2020
3. Coleman, S 2004, *The ethics of artificial uteruses : Implicatoin for reproduction and abortion*. Ashgate publishing.

4. Mathison, E & Davis, J (2017), *JS there a right of the foetus?, bio-ethics,* Q 313-320, Oxford, Oxford University Press.
5. Singer, P&S Wells, D (1984), *The reproduction revolution : New ways of making babies* (P-135) oxford university.
6. Rasanen, J. 2017, Ectogenesis, abortion and a right to the dealth of fetus, *Bioethics* 31(a), 697-702
7. Swajdor A. (2016), Ectogensis J. N, ten Have H. (ed.) *Encyclopedia of Global Bioethics,* Springer.
8. Hyon, I. WikersoIV, A. & Johnton, J.(2016), *Embryology Police,* Revisit the 14 Day rull nature, 533.
9. News 18, 16 अक्टूबर 2019 का समाचार।

——==00==——